

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सोहन लाल जाखड़</p> <p>बनाम</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353732203135446</p>	<p>ने व जारी अधिकारी इस हुक्म की तामीन में जारी हुए</p>
<p>09/06/26</p>	<p>अपीलार्थी सोहन लाल जाखड़ निवासी जाखड़ो की द्वाणी नारवा, जोधपुर ने द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14.04.2026 प्रस्तुत कर उनके द्वारा दिनांक 17.04.2026 आईडी sohanlaljakhar860@gmail.com के माध्यम से जिला कलेक्टर, जोधपुर की ईमेल आईडी dm-jod-rj@nic.in, rajjod@nic.in पर ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 867/1 पर कृषि भूमि पर अवैध व्यावसायिक निर्माण एवं प्रशासनिक निष्क्रियता के संबंध में ईमेल/शिकायत प्रेषित की थी। उक्त शिकायत पर अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेसपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेसपो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेसपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(आलोक रंजन) जिला कलेक्टर, जोधपुर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Alot Ranjan
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.06.09 12:23:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22737989
M e-Sign